क्रम-संख्या–2018

रजि० नं० एल. डब्लू./एन. पी. 561

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 6 अक्तूबर, 1989

आश्विन 14, 1911 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1938/सत्रह–वि0–1–1 (क) 28-89

लखनऊ, 6 अक्तूबर, 1989

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1989 पर दिनांक 6 अक्तूबर, 1989 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1989 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1989

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1989)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1989 कहा जायगा।

(2) यह 3 जून, 1989 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधि• नियम संख्या 19 सन् 1950 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में, उपधारा (10) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"(11) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1989 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार राज्य की संचित निधि से दो सौ करोड़ रुपये की और धनराशि निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी।"

निरसन और व्यावृत्ति

3—(1) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1989 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
नारायण दास,
सचिव।

No. 1938 (2) /XVII-V—1-1 (KA) 28-1989

Dated Lucknow, October 6, 1989

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Akasmikata Nidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1989 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 24 of 1989), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 6, 1989.

THE UTTAR PRADESH CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) ACT, 1989

(U.P. Act no. 24 of 1989)

(As passed by the U. P. Legislature)

AN
ACT

furher to amend the Uttar Pradesh Contingency Fund Act, 1950.

It is hereby enacted in the Fortieth Year of the Republic of India as follows :—

Shortititle and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 1989.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 3, 1989.

Amendment of section 4 of U. P. Act No. 19 of 1950

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Contingency Fund Act, 1950, hereinafter referred to as the principal Act, *after* sub-section (10), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(11) The State Government shall, on the commencement of the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 1989, withdraw a further sum of two hundred crores of rupees out of the Consolidated Fund of the State, and place the same to the credit of the Fund."

Repeal and saving

3. (1) The Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Ordinance, 1989, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were inforce at all material times.

By order,
NARAYAN DAS,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 159 10 (विधा०)-(2375)-1989-850 (मैक०)।